

राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण  
और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भामाशाह मंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, हिताधिकारियों को दक्ष और पारदर्शी रीति से लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के सीधे अंतरण और सेवाओं के परिदान का, और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का, उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्ननिलिखत अधिनियम बनाता है:-

**अध्याय 1**

**प्रारंभिक**

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के ऐसे किसी भी उपबंध में के निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आधार संख्यांक" से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यष्टि को जारी किया गया पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;

- (ख) "अधिप्रमाणन" से वह विहित प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें भामाशाह पहचान, उसकी जनसांख्यिकी सूचना के साथ भामाशाह मंच को उसके सत्यापन के लिए प्रस्तुत की जाती है और भामाशाह निवासी डाटा हब उसकी शुद्धता का सत्यापन उसके पास उपलब्ध सूचना या डाटा या दस्तावेजों के आधार पर करता है;
- (ग) "प्राधिकरण" से धारा 17 के अधीन स्थापित भामाशाह प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (घ) "भामाशाह पहचान संख्यांक" से किसी कुटुंब की पहचान के लिए धारा 3 के अधीन जारी किया गया विशिष्ट भामाशाह पहचान संख्यांक अभिप्रेत है;
- (ङ) "भामाशाह मंच" से निवासी और सरकारी विभाग/सरकारी निकाय के बीच के संबंध के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सृजित इलैक्ट्रॉनिक तंत्र अभिप्रेत है;
- (च) "जनसांख्यिकी सूचना" से भामाशाह कार्ड धारक की जनसांख्यिकी सूचना जैसे नाम, आयु, लिंग, आजीविका, वार्षिक आय, संपत्ति और ऐसी अन्य सूचना अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये;
- (छ) "नामांकन" से धारा 3 के अधीन किसी कुटुंब का नामांकन अभिप्रेत है;
- (ज) "नामांकन एजेंसी" से इस अधिनियम के अधीन नामांकन के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई एजेंसी अभिप्रेत है;
- (झ) "कुटुंब" से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा एक दूसरे से संबद्ध सदस्यों का ऐसा समूह अभिप्रेत है जो सामान्य रूप से साथ-साथ निवास कर रहा हो और साथ खाना खा रहा हो;
- (ञ) "वित्तीय समावेश" से समाज के सभी खण्डों, विशेष रूप से असुविधा-युक्त और निम्न आय समूह, के लिए वित्तीय सेवाओं को वहनीय और सुगम बनाना अभिप्रेत है;

- (ट) "निधि" से धारा 27 के अधीन स्थापित प्राधिकरण की निधि अभिप्रेत है;
- (ठ) "सरकारी निकाय" से राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, उसके द्वारा नियंत्रित या सारभूत रूप से वित्तपोषित कोई भी निकाय अभिप्रेत है;
- (ड) "कुटुंब का मुखिया" से कुटुंब की इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य अभिप्रेत है जिसे कुटुंब के सदस्यों द्वारा विहित रीति से कुटुंब के मुखिया के रूप में घोषित किया गया हो:

परन्तु यदि नामांकन के समय किसी कुटुंब में इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई महिला सदस्य नहीं हो तो कुटुंब के इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु के किसी भी पुरुष सदस्य को, कुटुंब की किसी पात्र महिला के उसका स्थान लेने तक, कुटुंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा; या यदि नामांकन के समय किसी कुटुंब में इक्कीस वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी पुरुष सदस्य नहीं हो तो कुटुंब के किसी भी लिंग के किसी भी सबसे बड़े सदस्य को कुटुंब के सदस्यों द्वारा कुटुंब का मुखिया घोषित किया जा सकेगा। यदि कुटुंब का ऐसा मुखिया पुरुष है तो वह कुटुंब की किसी पात्र महिला के उसका स्थान लेने तक ही इस प्रकार मुखिया बना रह सकता है;

- (ढ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ण) "लोक कल्याणकारी प्रसुविधा" से राज्य सरकार द्वारा सीधे या किसी सरकारी निकाय के माध्यम से किसी व्यक्ति या किसी कुटुंब को, चाहे नकद या वस्तु रूप में, दिया गया कोई भी लाभ, दान, पुरस्कार, अनुतोष, सहायता, सहायिकी या कोई भी संदाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य प्रसुविधाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;

- (त) "हकदारी का अभिलेख" से किसी भी कार्यक्रम या स्कीम के अधीन लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का अभिलेख अभिप्रेत है जिसके लिए कोई भी कुटुंब या उसके सदस्यों में से कोई भी सदस्य हकदार है;
- (थ) "रजिस्ट्रार" से इस अधिनियम के अधीन नामांकनों के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यताप्राप्त कोई भी इकाई अभिप्रेत है;
- (द) "विनियम" से प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ध) "निवेदक इकाई" से कोई सरकारी विभाग या सरकारी निकाय अभिप्रेत है जो भामाशाह कार्ड संख्यांक और जनसांख्यिकी सूचना भामाशाह निवासी डाटा हब को अधिप्रमाणन के लिए प्रस्तुत करता है;
- (न) "निवासी" से उसके सभी व्याकरणिक रूपभेदों सहित ऐसा निवासी, जिसने राजस्थान के किसी स्थानीय क्षेत्र में पिछले छह मास या इससे अधिक के लिए निवास किया है, या ऐसा व्यक्ति, जो उस क्षेत्र में अगले छह मास या उससे अधिक के लिए निवास करने का आशय रखता है, अभिप्रेत है;
- (प) "भामाशाह निवासी डाटा हब" से धारा 6 के अधीन सृजित भामाशाह निवासी डाटा हब अभिप्रेत है;
- (फ) "नियम" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (ब) "सेवा" से किसी कुटुंब या किसी व्यष्टि को किसी भी रूप में प्रदत्त कोई भी व्यवस्था, सुविधा, उपयोगिता या कोई भी अन्य सहायता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी अन्य सेवाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें;
- (भ) "सत्यापन" से नामांकन के समय कुटुंब के मुखिया या किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये गये

जनसांख्यिकी डाटा की शुद्धता सत्यापित करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।

## अध्याय 2

### नामांकन

**3. नामांकन.-** (1) राज्य में निवास करने वाला प्रत्येक कुटुंब, अपने मुखिया के माध्यम से या किसी वयस्क सदस्य के माध्यम से, अपने सभी सदस्यों की जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी का अभिलेख विहित रीति से प्रस्तुत करके भामाशाह कार्ड प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कुटुंब के सदस्यों की जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी के अभिलेख की प्राप्ति पर, प्राधिकरण सूचना का ऐसी रीति से सत्यापन करने के पश्चात्, जो विहित की जाये, कुटुंब का नामांकन करेगा और कुटुंब को विशिष्ट भामाशाह पहचान संख्यांक समनुदिष्ट करेगा जो विशिष्ट सात हेक्सा-डेसीमल रैंडम संख्यांक है।

**4. भामाशाह संख्यांक की विशेषताएं.-** (1) किसी कुटुंब को समनुदिष्ट भामाशाह संख्यांक विशिष्ट सात हेक्सा-डेसीमल रैंडम संख्यांक है और यह किसी भी अन्य कुटुंब को पुनःसमनुदिष्ट नहीं किया जायेगा।

(2) भामाशाह संख्यांक रैंडम संख्यांक होगा और भामाशाह संख्यांक धारक की विशेषताओं या पहचान से उसका कोई संबंध नहीं है।

(3) भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक रूप से भामाशाह संख्यांक को, अधिप्रमाणन और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के प्रयोजन के लिए कुटुंब के सदस्यों की पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जायेगा और अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रॉनिक रूप" का वही अर्थ होगा जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (द) में दिया गया है।

**5. भामाशाह कार्ड.-** (1) धारा 3 के अधीन नामांकन हो जाने पर, प्राधिकरण कुटुंब के मुखिया को ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाये, के संदाय पर भामाशाह कार्ड जारी करेगा।

(2) यदि कुटुंब का कोई भी सदस्य इस निमित्त किये गये किसी आवेदन द्वारा ऐसी वांछा करे तो उसे भी ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से और ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो विहित की जाये, के संदाय पर अतिरिक्त भामाशाह कार्ड जारी किया जा सकेगा।

### अध्याय 3

#### भामाशाह निवासी डाटा हब और सूचना की संरक्षा

**6. भामाशाह निवासी डाटा हब का सृजन.-** (1) प्राधिकरण सभी भामाशाह कार्ड धारकों की जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी के अभिलेख का डाटाबेस ऐसी रीति से सृजित और संधारित करेगा जो विहित की जाये।

(2) प्राधिकरण भामाशाह निवासी डाटा हब सृजित और संधारित करने के लिए और भामाशाह निवासी डाटा हब के बारे में ऐसे किन्हीं भी अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए, जो विहित किये जायें, ऐसी किसी भी एजेंसी को लगा सकेगा जिसे वह समुचित समझे।

**7. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता.-** (1) प्राधिकरण भामाशाह निवासी डाटा हब में के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा।

(2) उप-धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण-

(क) समुचित तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय अंगीकृत और कार्यान्वित करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी भी कृत्य का पालन करने के लिए नियुक्त या लगायी गयी एजेंसियां, परामर्शी, सलाहकार या अन्य व्यक्ति सूचना के लिए समुचित

तकनीकी और संगठनात्मक सुरक्षा उपाय रखते हैं;  
और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के साथ किये गये करार या ठहराव इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण पर अधिरोपित बाध्यताओं के समान बाध्यताएं अधिरोपित करते हैं और ऐसी एजेंसियों, परामर्शियों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों से केवल प्राधिकरण के अनुदेशों पर कार्य करने की अपेक्षा करेगा।

(3) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकरण या उसके कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऐसी कोई भी एजेंसी, जो भामाशाह निवासी डाटा हब का संधारण करती है, चाहे अपनी सेवा के दौरान या उसके पश्चात्, भामाशाह निवासी डाटा हब या अधिप्रमाणन अभिलेख में भंडारित कोई भी सूचना तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार के सिवाय किसी को भी प्रकट नहीं करेगी:

परन्तु भामाशाह धारक की भामाशाह निवासी डाटा हब में भंडारित कोई भी सूचना ऐसे धारक को उसके द्वारा किये गये अनुरोध पर विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से प्रकट की जा सकेगी।

**8. सूचना साझा करने पर निर्बंधन.-** (1) भामाशाह कार्ड धारक की इस अधिनियम के अधीन संगृहीत कोई भी जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी का अभिलेख इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार के सिवाय, किसी भी कारण से चाहे वह जो कोई भी हो, किसी के साथ साझा नहीं किया जायेगा।

(2) भामाशाह पहचान, जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी के अभिलेख को, ऐसे प्रयोजनों के सिवाय, जो विहित किये जायें, सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जायेगा।

**9. जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी के अभिलेख में परिवर्तन.-**

(1) यदि भामाशाह कार्ड धारक कुटुंब के किसी सदस्य की कोई भी जनसांख्यिकी सूचना या हकदारी का अभिलेख अशुद्ध पाया जाता है या उसमें बाद में परिवर्तन हो जाता है तो कुटुंब का मुखिया या कुटुंब का कोई भी अन्य वयस्क सदस्य प्राधिकरण को ऐसी जनसांख्यिकी सूचना

या, यथास्थिति, हकदारी के अभिलेख का भामाशाह निवासी डाटा हब में ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, परिवर्तन करने के लिए अनुरोध कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से, या उप-धारा (1) के अधीन कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसी जांच या/और सत्यापन के पश्चात्, जो वह उचित समझे, ऐसे परिवर्तन कर सकेगा जो भामाशाह निवासी डाटा हब में अपेक्षित हों, और ऐसे परिवर्तन की सूचना कुटुंब के मुखिया और संबंधित सदस्य को ऐसी रीति से दे सकेगा जो विहित की जाये।

(3) भामाशाह निवासी डाटा हब में कोई भी जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी का अभिलेख, इस अधिनियम में उपबंधित रीति के सिवाय, परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

#### अध्याय 4

### लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अन्तरण और सेवाओं का परिदान

**10. सेवाओं का परिदान.-** (1) राज्य सरकार, किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों की पहचान लोक कल्याणकारी प्रसुविधा और सेवाओं की प्राप्ति के लिए शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 7 के अधीन, भामाशाह मंच के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं की सूची अधिसूचित कर सकेगी।

(2) भामाशाह संख्यांक उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित किन्हीं भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आज्ञापक होगा।

(3) प्राधिकरण लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान हिताधिकारियों को उनके घर पर या उनके निवास-स्थान के आसपास करने का प्रयास करेगा।

**11. हिताधिकारी को प्रसुविधा का सीधा अन्तरण.-** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधा, जब कभी ऐसी प्रसुविधाएं नकद प्रकृति की हों, अधिप्रमाणन के



पश्चात्, हिताधिकारी के बैंक खाते या मोबाइल वालेट में, और यदि लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं कुटुंब से संबंधित हैं तो, कुटुंब के मुखिया के बैंक खाते में, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, सीधे अंतरित की जायेंगी।

**12. सेवा परिदान के लिए भामाशाह निवासी डाटा हब का उपयोग.-** (1) राज्य सरकार, सरकारी विभाग या सरकारी निकाय के माध्यम से, धारा 10 और धारा 11 के अधीन यथाअधिसूचित सभी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान अधिप्रमाणन के पश्चात् भामाशाह मंच के माध्यम से करेगी।

(2) धारा 11 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के संबंध में प्रत्येक विभाग, कुटुंब या उसके किसी भी सदस्य के अपने विभागीय डाटाबेस को भामाशाह संख्यांक, बैंक खाता संख्यांक और आधार संख्यांक से ऐसी रीति से युक्त करेगा जो विहित की जाये।

(3) जब एक बार विभागीय डाटाबेस को युक्त किये जाने का कार्य पूरा हो जाता है तो विभाग अपने स्वयं के स्तर पर और कोई डाटाबेस सृजित नहीं करेगा और भविष्य में किन्हीं भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का अन्तरण और सेवाओं का परिदान करने के लिए कुटुंब या उसके किसी भी सदस्य की भामाशाह निवासी डाटा हब में उपलब्ध जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी के अभिलेख का उपयोग करेगा।

**13. संव्यवहार मैपर.-** आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 7 के अधीन अधिसूचित सहायिकी, प्रसुविधा या सेवा और धारा 11 के अधीन अधिसूचित लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का प्रत्येक संव्यवहार इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी रीति से अभिलिखित किया जायेगा जो विहित की जाये।

**14. सामाजिक लेखापरीक्षा.-** लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की सामाजिक लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा में और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समिति में या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य पीठ में विहित की जाये, की जायेगी।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "ग्राम सभा" और "वार्ड समिति" का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान पंचायती

राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 23) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 ( 2009 का अधिनियम सं. 18) में क्रमशः समनुदिष्ट किया गया है।

## अध्याय 5

### अधिप्रमाणन

**15. लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए भामाशाह संख्यांक का सबूत आवश्यक.-** राज्य सरकार, किसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधा और सेवाओं की प्राप्ति के लिए, जिनका व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, कुटुंब या उसके किसी भी सदस्य की पहचान एक शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा कुटुंब या उसका ऐसा सदस्य अधिप्रमाणन करवाये या भामाशाह संख्यांक के कब्जे का सबूत दे या ऐसे किसी कुटुंब के मामले में, जिसे कोई भामाशाह संख्यांक समनुदिष्ट नहीं किया गया है, ऐसा कुटुंब नामांकन के लिए आवेदन करे:

परन्तु यदि किसी कुटुंब या उसके सदस्य को भामाशाह संख्यांक समनुदिष्ट नहीं किया जाता है तो उन्हें लोक कल्याणकारी प्रसुविधा और सेवाओं के परिदान के लिए आनुकल्पिक और व्यवहार्य साधनों का प्रस्ताव किया जायेगा।

**16. अधिप्रमाणन के लिए सुविधा उपलब्ध कराना.-** प्राधिकरण, ऐसे इलैक्ट्रॉनिक मंच के माध्यम से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किया जाये, अधिप्रमाणन हेतु निवेदक इकाई को सुविधा उपलब्ध करायेगा।

## अध्याय 6

### भामाशाह प्राधिकरण

**17. प्राधिकरण का स्थापन और गठन.-** (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए भामाशाह प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना और गठन करेगी।

(2) प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थावर और जंगम दोनों संपत्ति अर्जित, धारित और व्ययनित करने और संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद कर सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

(4) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

**18. प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य.-** प्राधिकरण निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

- (क) विनियमों द्वारा, रजिस्ट्रारों और नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- (ख) हिताधिकारियों को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान के लिए विद्यमान इलैक्ट्रॉनिक अवसंरचना का विस्तार करना;
- (ग) भामाशाह निवासी डाटा हब सृजित, मानीटर और संधारित करना;
- (घ) भामाशाह निवासी डाटा हब के उपयोग के लिए नीति बनाना;
- (ङ) भामाशाह मंच में नयी सेवाएं जोड़ने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना;
- (च) लाइन एजेंसियों के सहयोग से राज्य के निवासियों के वित्तीय समावेश के लिए समुचित कदम उठाना;
- (छ) अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन को मानीटर करना;
- (ज) विभिन्न सरकारी विभागों और सरकारी निकायों के बीच समन्वय करना;

- (झ) भामाशाह मंच के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं को मानीटर करना;
- (ञ) विनियम बनाना और संशोधित करना;
- (ट) प्राधिकरण को उसके कृत्यों और शक्तियों के निर्वहन में सहायता देने के लिए ऐसी समितियां या कार्य बल या समूह या उप-समितियां नियुक्त करना जो आवश्यक हों;
- (ठ) जब कभी अपेक्षित हो, अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को आमंत्रित करना;
- (ड) ऐसी कोई भी स्थावर या जंगम संपत्ति, जो प्राधिकरण के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो, को क्रय, विनिमय, पट्टे, भाड़े द्वारा या अन्यथा अर्जित करना;
- (ढ) सहायता, संदान, दान या कोई भी अन्य सहायता स्वीकार करना;
- (ण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से धन उधार लेना;
- (त) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या साधक हों।

**19. भामाशाह प्राधिकरण की संरचना.-** प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

- (i) अध्यक्ष जो मुख्य शासन सचिव की रैंक का व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्रौद्योगिकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, लोक कार्यो या प्रशासन से संबंधित विषयों का अनुभव और ज्ञान हो और उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;
- (ii) राज्य सरकार द्वारा प्रभारी सचिवों या राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों में से नियुक्त किये जाने वाले तीन से

अन्यून और पांच से अनधिक शासकीय सदस्य जो आवश्यक रूप से वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभाग से होंगे;

**स्पष्टीकरण.-** इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) अभिव्यक्ति "प्रभारी सचिव" से किसी विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव भी है जब वह किसी विभाग का प्रभारी हो; और
- (ख) अभिव्यक्ति "विभागाध्यक्ष" का वही अर्थ होगा जो उसे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 7 के खण्ड (11) में समनुदिष्ट किया गया है;
- (iii) ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें प्रौद्योगिकी, शासन, विधि, विकास, अर्थशास्त्र, वित्त, प्रबंध, लोक कार्यों या प्रशासन से संबंधित विषयों में अनुभव और जान हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो से अनधिक गैर-शासकीय सदस्य;
- (iv) प्राधिकरण का महानिदेशक जो प्राधिकरण का सदस्य-सचिव होगा।

**20. गैर-शासकीय अध्यक्ष और गैर-शासकीय सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें.-** (1) प्राधिकरण का गैर-शासकीय अध्यक्ष या गैर-शासकीय सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि तक या राज्य सरकार के प्रसादपर्यंत, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(2) गैर-शासकीय अध्यक्ष और गैर-शासकीय सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जायें।

(3) गैर-शासकीय अध्यक्ष या गैर-शासकीय सदस्य राज्य सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपना पदत्याग कर सकेंगे और ऐसा पदत्याग राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये जाने पर, ऐसे गैर-शासकीय अध्यक्ष या, यथास्थिति, गैर-शासकीय सदस्य के लिए यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है।

**21. प्राधिकरण की बैठकें.-** (1) प्राधिकरण वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगा जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(2) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मत समान होने की दशा में, अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

**22. कार्यकारिणी समिति का गठन.-** (1) प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात:-

- |       |                                                                                 |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (i)   | प्राधिकरण का महानिदेशक                                                          | अध्यक्ष;    |
| (ii)  | वित्त विभाग द्वारा नामनिर्देशित अधिकारी जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे का न हो | सदस्य;      |
| (iii) | निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग                                       | सदस्य;      |
| (iv)  | निदेशक और संयुक्त सचिव, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग                               | सदस्य-सचिव। |

(2) कार्यकारिणी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

(3) कार्यकारिणी समिति तीन मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर करेगी जो उसका अध्यक्ष विनिश्चित करे और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(4) अध्यक्ष, या यदि वह किसी भी कारण से कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(5) ऐसे सभी प्रश्न, जो कार्यकारिणी समिति की किसी भी बैठक में उठाये जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे और मतों की समानता होने की दशा में अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन व्यक्ति, का निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

**23. प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के आदेशों का अधिप्रमाणन.-** प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतें प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारिणी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित की जायेंगी।

**24. महानिदेशक की नियुक्ति शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य.-** राज्य सरकार द्वारा शासन सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को प्राधिकरण का महानिदेशक नियुक्त किया जायेगा। वह, प्राधिकरण के साधारण नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

- (क) प्राधिकरण के सभी अधिकारियों और सेवकों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण रखना;
- (ख) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के परिदान की रूपरेखा तैयार करना और उनकी प्रभावी मानीटरी तथा क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना;
- (ग) प्राधिकरण की संपत्तियों, अभिलेखों और निधियों का प्रबंध करना;
- (घ) प्राधिकरण के लेखाओं का, उनकी जांच और संपरीक्षा सहित, कालिक रूप से सही और उचित संधारण करना;

- (ड) प्राधिकरण के वार्षिक आय और व्यय के लेखे और तुलनपत्र तैयार करना;
- (च) अद्यतन और पूर्ण सांख्यिकी सूचना संधारित करना जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समय-समय पर की गयी प्रगति है;
- (छ) वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों की प्रक्रिया करना और उनके उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी करना;
- (ज) प्राधिकरण के मुख्य उद्देश्यों के संबंध में बैठकें, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करना और रिपोर्टें तैयार करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- (झ) प्राधिकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए विडियो, वृत्तचित्र, प्रचार सामग्री, साहित्य और प्रकाशनों का निर्माण करना; और
- (ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

**25. अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति.-** (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के इतनी संख्या में पद और प्रवर्ग सृजित कर सकेगा जितने वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निष्पादन में आवश्यक समझे और उन पर नियुक्ति कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते, और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियमों द्वारा अवधारित की जायें और, निधि में से संदत्त किये जायेंगे।

## अध्याय 7

### अनुदान, लेखे, लेखापरीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

**26. राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान.-** राज्य सरकार, राज्य विधान-मंडल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किये गये सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि



संदत करेगी जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लिये जाने के लिए उचित समझे।

**27. प्राधिकरण की निधि.-** (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भामाशाह प्राधिकरण निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा धारा 26 के अधीन संदत की गयी धनराशि के अतिरिक्त, निधि में निम्नलिखित जमा किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) सहायता, संदान, दान और प्राधिकरण द्वारा लिये गये उधार;

(ख) प्राधिकरण द्वारा फीस के रूप में प्राप्त कोई भी धनराशि;

(ग) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी अन्य धनराशि।

(3) प्राधिकरण द्वारा निधि का उपयोग इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में उपगत खर्चों की पूर्ति करने में किया जायेगा जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण के गैर-शासकीय अध्यक्ष और गैर-शासकीय सदस्यों को भत्तों का संदाय, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को वेतन और भत्तों का संदाय है।

**28. प्राधिकरण का बजट.-** (1) प्राधिकरण, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो विहित किया जाये और उसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित बजट उपबंधों से अन्यथा कोई भी व्यय उपगत नहीं करेगा।

**29. वार्षिक रिपोर्ट.-** प्राधिकरण, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा और आगामी वर्ष के लिए अपनी योजनाएं बताते हुए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर तैयार करेगा जो विहित की जाये और उसकी प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट में पूर्ववर्ती वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट योजनाओं के बारे में प्राधिकरण के प्रदर्शन का पुनर्विलोकन भी अन्तर्विष्ट होगा।

**30. लेखे और लेखापरीक्षा.-** (1) प्राधिकरण के लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से संधारित किये जायेंगे जो विहित की जाये और उनकी लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(2) प्राधिकरण अपने लेखापरीक्षित लेखाओं की प्रति, उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, राज्य सरकार को ऐसी तारीख के पूर्व प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाये।

**31. वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना.-** राज्य सरकार प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

## अध्याय 8

### अपराध और शास्तियां

**32. सूचना की सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति.-** जो कोई भी भामाशाह कार्ड धारक की जनसांख्यिकी सूचना और हकदारी का विलेख धारा 7 के उल्लंघन में साझा या प्रकाशित करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देने का दायी होगा जिस पर ऐसी विफलता से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

**33. निवेदक इकाई द्वारा अप्राधिकृत उपयोग के लिए शास्ति.-** जो कोई भी निवेदक इकाई होने पर धारा 8 के उल्लंघन में किसी व्यष्टि की पहचान का उपयोग करता है, वह ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देने का दायी होगा जिस पर ऐसे उल्लंघन से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

**34. कंपनियों द्वारा अपराध.-** (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन में उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और

तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

- (क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है।
- (ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

## अध्याय 9

### विविध

**35. सदस्यों, अधिकारियों इत्यादि का लोक सेवक होना.-** प्राधिकरण और कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष और सदस्य और प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

**36. राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति.-** (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कृत्यों का पालन करने में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित में उसे दे।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय, कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, अंतिम होगा।

**37. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन.-** प्राधिकरण, लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन की अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों, धारा 40 के अधीन की शक्ति को छोड़कर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति, किसी भी सदस्य या अधिकारी को ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, के अध्यक्ष रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

**38. सदभावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.-** राज्य सरकार या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति, या प्राधिकरण या कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य, या प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम के अधीन सदभावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

**39. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.-** राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

**40. प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति.-** प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विषयों का उपबंध करने के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा विनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने अपेक्षित हैं, इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकेगा।

**41. नियमों और विनियमों का राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखा जाना.-** इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन

से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जायेगा और यदि उस सत्र की, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या ठीक अगले सत्रों की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे किसी भी नियम या विनियम में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् नियम या विनियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**42. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं.-** इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

**43. अधिनियम द्वारा विधि के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए भामाशाह संख्यांक के उपयोग को नहीं रोका जाना.-** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात, चाहे किसी निगमित निकाय या व्यक्ति द्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या इस प्रभाव की किसी भी संविदा के अनुसरण में हो, किसी भी प्रयोजन के लिए किसी व्यष्टि की पहचान स्थापित करने के लिए भामाशाह संख्यांक के उपयोग को नहीं रोकती है:

परन्तु इस धारा के अधीन भामाशाह संख्यांक का उपयोग इस अधिनियम के अधीन की प्रक्रिया और बाध्यताओं के अध्यधीन होगा।

**44. कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति.-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**45. व्यावृत्ति.-** राज्य सरकार द्वारा, भामाशाह स्कीम को शासित या विनियमित करने के लिए परिपत्र सं.एफ.17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/29279, दिनांक 18.07.2014 और पश्चात्पूर्वी परिपत्रों के अधीन की गयी कोई बात या कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य रूप से की हुई समझी जायेगी।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

वित्तीय समावेश, प्रसुविधा के पारदर्शी और दक्ष अंतरण और राज्य की महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से भामाशाह स्कीम राज्य में वर्ष 2008 में आरंभ की गयी थी।

भामाशाह स्कीम, लक्षित हिताधिकारियों को नकदी और गैर-नकदी प्रसुविधाओं के पारदर्शी रीति से अंतरण के लिए शुरू से अंत तक सेवा परिदान मंच के रूप में वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण, हिताधिकारियों को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के सीधे अंतरण और सेवाओं के दक्ष परिदान के वृहत् उद्देश्यों के साथ वर्ष 2014 में पुनःआरंभ की गयी थी।

भामाशाह स्कीम को कानूनी संस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जाना ईप्सित है-

- (क) कुटुंब पहचान के रूप में विशिष्ट भामाशाह संख्यांक के साथ भामाशाह कार्ड जारी करना;
- (ख) विशिष्ट भामाशाह निवासी डाटा हब का सृजन जिसमें भामाशाह पहचान, आधार संख्यांक और आधारभूत जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक डाटा, विभिन्न हिताधिकारी स्कीमों के अधीन व्यष्टियों और कुटुंबों की हकदारियां और पात्रता हैसियत समाविष्ट होंगी;

- (ग) भामाशाह निवासी डाटा हब में संगृहीत सूचना को सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण के कब्जे या नियंत्रण में की सूचनाओं की सुरक्षा, निजता और गोपनीयता के बारे में उपाय;
- (घ) हिताधिकारी के नकदी और गैर-नकदी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का प्रत्यक्ष अंतरण और यदि प्रसुविधाएं कुटुंब के बारे में हैं तो ऐसी प्रसुविधाओं का कुटुंब की महिला मुखिया के खाते में सीधा अंतरण;
- (ङ) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान के बारे में शासकीय अभिलेखों की सामाजिक लेखापरीक्षा;
- (च) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के परिदान के लिए हिताधिकारी की पहचान और अधिप्रमाणन के लिए आधार संख्यांक/भामाशाह संख्यांक की अपेक्षा करना;
- (छ) भामाशाह प्राधिकरण की स्थापना और रजिस्ट्रार का उपबंध;
- (ज) सुसंगत कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के लिए अपराध और शास्तियां।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।  
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजें,  
प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल  
महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(21) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 08 मार्च, 2017)  
प्रेषक : वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषित : सचिव, राजस्थान विधान  
सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ ।

### वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 निवासियों/कुटुंबों के नामांकन के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 5 भामाशाह कार्ड जारी करने के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 6 एकीकृत भामाशाह निवासी डाटा हब के सृजन और संधारण के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 17 भामाशाह प्राधिकरण के गठन और स्थापना के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 20(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष और गैर-शासकीय सदस्यों को संदत्त किये जाने वाले वेतन और भत्तों के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 24 प्राधिकरण के महानिदेशक की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 25 प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है।

विधेयक का खण्ड 26 राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को अनुदान के संदाय के लिए उपबंध करता है।

इस प्रकार भामाशाह निवासी डाटा हब के सृजन और संधारण में, भामाशाह प्राधिकरण स्थापित करने और अन्य संभार-तंत्र संबंधी कृत्यों में 1 करोड़ रुपये का अनावर्ती और 3 करोड़ रुपये वार्षिक का आवर्ती प्राक्कलित व्यय अन्तर्वलित होगा।



वसुन्धरा राजें,  
प्रभारी मंत्री।

### प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने वर्णित मामलों के संबंध में, राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए और भामाशाह प्राधिकरण को विनियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

- | <b>खण्ड</b> | <b>के संबंध में</b>                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <b>राज्य सरकार (नियम)</b>                                                                                       |
| 2(ख)        | अधिप्रमाणन की प्रक्रिया;                                                                                        |
| 3(2)        | भामाशाह संख्यांक जारी करने के लिए जनसांख्यिकी सूचना के सत्यापन की रीति;                                         |
| 4(3)        | भामाशाह संख्यांक को कुटुंब के सदस्यों की पहचान के सबूत और पते के सबूत के रूप में स्वीकार करने की अन्य शर्तें;   |
| 5           | भामाशाह कार्ड का प्ररूप और जारी करने की रीति और फीस, यदि कोई हो;                                                |
| 6(1)        | भामाशाह निवासी डाटा हब के सृजन और संधारण की रीति;                                                               |
| 6(2)        | भामाशाह निवासी डाटा हब स्थापित और संधारित करने के लिए लगायी गयी एजेंसी के अन्य कृत्य;                           |
| 9(1)        | भामाशाह निवासी डाटा हब में किसी भी जनसांख्यिकी सूचना को परिवर्तित करने के लिए प्राधिकरण को अनुरोध करने की रीति; |
| 9(2)        | परिवर्तनों की सूचना कुटुंब के मुखिया या संबंधित सदस्य                                                           |

- को देने की रीति;
- 11 हिताधिकारी के खाते में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का अंतरण करने की रीति;
- 12(2) विभागीय डाटाबेस को युक्त करने की रीति;
- 13 लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के अधीन धन या सेवा के संव्यवहार को अभिलिखित करने की रीति;
- 14 ऐसे अंतराल जिन पर और ऐसी रीति जिससे लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं की सामाजिक लेखापरीक्षा की जायेगी;
- 20(2) गैर-शासकीय अध्यक्ष और गैर-शासकीय सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;
- 28(1) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिस पर प्राधिकरण अपना बजट तैयार करेगा;
- 29 वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिस पर प्राधिकरण अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा; और
- 30(1) प्राधिकरण के लेखे संधारित करने का प्ररूप और रीति।

#### **प्राधिकरण (विनियम)**

- 18(1)(क) रजिस्ट्रारों और नामांकन एजेंसियों की नियुक्ति और उनकी नियुक्तियों के प्रतिसंहरण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करना;
- 21(1) कारबार के संव्यवहार के लिए, गणपूर्ति सहित, प्राधिकरण द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया;
- 22(3) कारबार के संव्यवहार के लिए, गणपूर्ति सहित, कार्यकारिणी समिति द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया; और
- 25(2) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें अवधारित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

वसुन्धरा राजें,  
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

**Bill No. 26 of 2017**

**THE RAJASTHAN BHAMASHAH (DIRECT TRANSFER  
OF PUBLIC WELFARE BENEFITS AND DELIVERY OF  
SERVICES) BILL, 2017**

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

*Bill*

*to provide for women empowerment, financial inclusion, direct transfer of public welfare benefits and delivery of services to the beneficiaries through Bhamashah platform in efficient and transparent manner, and for matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

**CHAPTER-I**

*Preliminary*

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Bhamashah (Direct Transfer of Public Welfare Benefits and Delivery of Services) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint; and different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the commencement of that provision.

**2. Definitions.-** In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “aadhaar number” means an identification number of an individual issued under sub-section (3) of section 3 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No.18 of 2016);
- (b) "authentication" means the prescribed process wherein Bhamashah identity along with demographic information is submitted to the Bhamashah Platform for its verification and the Bhamashah Resident Data Hub verifies the correctness thereof on the basis of information or data or documents available with it;
- (c) “Authority” means the Bhamashah Authority established under section 17;
- (d) “Bhamashah identification number” means a unique Bhamashah identification number for identifying a family issued under section 3;
- (e) "Bhamashah Platform" means an electronic mechanism of interface between the resident and the Government department/government body created under the provisions of this Act;
- (f) “demographic information” means demographic information of Bhamashah card holder like name, age, gender, occupation, annual income, property and such other information as may be notified by the State Government from time to time;
- (g) “enrolment” means the enrolment of a family under section 3;
- (h) “enrolling agency” means an agency appointed by the Authority or Registrar for enrolment under this Act;
- (i) “family” means a group of members related to each other by blood, marriage or adoption and normally residing together and sharing meals;
- (j) “financial inclusion” means to make financial services affordable and accessible to all segments of society particularly the disadvantaged and lower income group;

- (k) "Fund" means the Fund of the Authority established under section 27;
- (l) "government body" means any body owned, controlled or substantially financed by the State Government;
- (m) "head of the family" means a woman member of the family of the age of twenty one years or above, declared by the family members in the prescribed manner as head of the family:

Provided that in case a family has no woman member of the age of twenty one years or above at the time of enrolment, any male member of the family of the age of twenty one years or above may be declared to be the head of the family till an eligible woman member of the family takes his place; or in case a family has no male member of the age of twenty one years or above at the time of enrolment, any eldest member of the family of any gender, maybe declared as head of the family by the family members. If such head of the family is a male, he can remain so only till an eligible woman member of the family takes his place;

- (n) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (o) "public welfare benefits" means any advantage, gift, reward, relief, aid, subsidy or any payment, whether in cash or kind, provided by the State Government directly or through a government body to an individual or a family and includes such other benefits as may be notified by the State Government from time to time;
- (p) "records of entitlement" means records of public welfare benefits and services under any programme or scheme for which any family or any of its members is entitled to;
- (q) "Registrar" means any entity authorised or recognised by the Authority for the purpose of enrolments under this Act;
- (r) "regulations" means the regulations made by the Authority under this Act;

- (s) "requesting entity" means a Government Department or government body that submits the Bhamashah card number and demographic information to the Bhamashah Resident Data Hub for authentication;
- (t) "resident", with all its grammatical variations, means a resident who has resided in a local area of Rajasthan for the past six months or more or a person who intends to reside in that area for the next six months or more;
- (u) "Bhamashah Resident Data Hub" means the Bhamashah Resident Data Hub created under section 6;
- (v) "rules" means the rules made by the State Government under this Act;
- (w) "service" means any provision, facility, utility or any other assistance provided in any form to a family or an individual and includes such other services as may be notified by the State Government from time to time.
- (x) "verification" means the process of verifying the correctness of the demographic data submitted by the Head of the Family or any adult member at the time of enrolment.

## **CHAPTER-II**

### ***Enrolment***

**3. Enrolment.-** (1) *Every family residing in the State shall be entitled, through its head or through any adult member, to obtain Bhamashah Card by submitting demographic information and record of entitlement of all its members in the prescribed manner.*

(2) *On receipt of the demographic information and record of entitlement of the members of the family under sub-section (1), the Authority shall, after verifying the information in such manner, as may be prescribed, enrol the family and assign to the family a unique Bhamashah identification number. which is a unique seven hexa-decimal random number.*

**4. Properties of a Bhamashah number.-** (1) *A Bhamashah number assigned to a family is a unique seven hexa-decimal random number and it shall not be re-assigned to any other family.*

(2) A Bhamashah number shall be a random number and bear no relation to the attributes or identity of the Bhamashah number holder.

(3) A Bhamashah number, in physical or electronic form subject to authentication and other conditions, as may be prescribed, shall be accepted as proof of identity and proof of address of the family members for the purpose of public welfare benefits and services and may also be accepted as proof of identity and proof of address for any other purpose.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000).

**5. Bhamashah card.-***(1) On enrolment under section 3, the Authority shall issue to the head of the family a Bhamashah Card in such form, in such manner and on payment of such fees, if any, as may be prescribed.*

*(2) If any member of the family so desires by an application made in this behalf, he may also be issued an additional Bhamashah card in such form, in such manner and on payment of such fees, if any, as may be prescribed.*

### CHAPTER-III

#### ***Bhamashah Resident Data Hub and Protection of Information***

**6. Creation of Bhamashah Resident Data Hub.-** *(1) The Authority shall create and maintain a database of demographic information and record of entitlement of all the Bhamashah card holders in such manner as may be prescribed.*

*(2) The Authority may engage any agency, as it may deem appropriate, to create and maintain the Bhamashah Resident Data Hub and to perform any other functions relating to the Bhamashah Resident Data Hub as may be prescribed.*

**7. Security and confidentiality of information.-** (1) The Authority, shall ensure the security and confidentiality of the data in Bhamashah Resident Data Hub.

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1), the Authority shall-

- (a) adopt and implement appropriate technical and organisational security measures;

- (b) ensure that the agencies, consultants, advisors or other persons appointed or engaged for performing any function of the Authority under this Act, have in place appropriate technical and organisational security measures for the information; and
- (c) ensure that the agreements or arrangements entered into with such agencies, consultants, advisors or other persons, impose obligations equivalent to those imposed on the Authority under this Act, and require such agencies, consultants, advisors or other persons to act only on instructions from the Authority.

(3) Save as otherwise provided in this Act, the Authority or any of its officers or other employees or any agency that maintains the Bhamashah Resident Data Hub shall not, whether during his service or thereafter, reveal any information stored in the Bhamashah Resident Data Hub or authentication record to anyone except in accordance with any law for the time being in force:

Provided that any information of Bhamashah card holder stored in the Bhamashah Resident Data Hub may be revealed to such holder on a request made by him in the manner specified in regulations.

**8. Restriction on sharing information.-** (1) No demographic information and record of entitlement of Bhamashah card holder collected under this Act shall be shared with anyone, for any reason whatsoever, except in accordance with the provisions of this Act.

(2) Bhamashah identity, demographic information and record of entitlement shall not be published, displayed or posted publicly, except for such purposes, as may be prescribed.

**9. Alteration of demographic information and record of entitlement.-**(1) In case any demographic information or record of entitlement of a member of the Bhamashah card holder family is found incorrect or changes subsequently, the head of the family or any other adult member of the family may request the Authority to alter such demographic information or record of entitlement, as the case may be in the record of the family in the Bhamashah Resident Data Hub in such manner, as may be prescribed.

(2) The Authority may, *suo moto* or on receipt of any request under sub-section (1), after such inquiry or/and verification as it may deem fit, make such alteration as may be required in the



Bhamashah Resident Data Hub, and intimate such alteration to the head of the family and the member concerned in the manner as may be prescribed.

(3) No demographic information and record of entitlement in the Bhamashah Resident Data Hub shall be altered except in the manner provided in this Act.

#### **CHAPTER-IV**

#### ***Direct Transfer of Public Welfare Benefits and Delivery of Services***

**10. Delivery of Services.-** (1) The State Government may, for the purpose of establishing identity of a family or any of its members, as a condition for receipt of the public welfare benefit and services, notify the list of the services under section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016) to be delivered through Bhamashah Platform.

(2) The Bhamashah number shall be mandatory for receipt of any of the public welfare benefits and services notified under sub-section (1).

(3) The Authority shall endeavour to deliver the public welfare benefits and services to the beneficiaries at their doorsteps or at the places nearby to their residences.

**11. Direct transfer of benefit to the beneficiary.-** The State Government may, by notification, specify that any public welfare benefit, whenever such benefits are in the nature of cash shall, after authentication, be transferred directly to the bank account or mobile wallet of the beneficiary, and in case the public welfare benefits pertain to a family, to the bank account of the head of the family, in such manner, as may be prescribed.

**12. Use of Bhamashah Resident Data Hub for Service delivery.-** (1) The State Government, through government department or government body shall deliver all the public welfare benefits and services as notified under section 10 and section 11, after authentication, through the Bhamashah Platform.

(2) Every department shall, seed its departmental database of a family or any of its members pertaining to public welfare benefits notified under section 11 with the Bhamashah number, bank account number and aadhaar number in such manner, as may be prescribed.

(3) Once the seeding of the departmental database is completed, the departments shall not create any further database at its own level and shall use demographic information and record of entitlement of a family or any of its members available in Bhamashah Resident Data Hub for transfer of any public welfare benefits and delivery of service in future.

**13. Transaction mapper.-** Every transaction of subsidy, benefit or service notified under section 7 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Central Act No. 18 of 2016) and the public welfare benefits notified under section 11 shall be recorded electronically in such manner, as may be prescribed.

**14. Social Audit.-** Social audit of the delivery of public welfare benefits shall be conducted at such intervals and in such manner, as may be prescribed in the Gram Sabhas in rural areas and the Ward Committees in urban areas or any other forum specified by the State Government by notification.

**Explanation.-** For the purpose of this section, the expression "Gram Sabha" and "Ward Committee" shall have same meaning as assigned to them respectively in the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.23 of 1994) and the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No.18 of 2009).

## **CHAPTER-V** *Authentication*

**15. Proof of Bhamashah number necessary for receipt of Public Welfare Benefits and services.-** The State Government may, for the purpose of establishing identity of a family or its any member, as a condition for receipt of a public welfare benefit and services for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of the State, require that such family or its such member undergo authentication or furnish proof of possession of Bhamashah number or in the case of a family to whom no Bhamashah number has been assigned, such family makes an application for enrolment:

Provided that if a Bhamashah number is not assigned to a family or its member, they shall be offered alternate and viable means of identification for delivery of the public welfare benefit and services.

**16. Providing facility for Authentication.-** The Authority shall, through such electronic platform, as may be decided by it, provide facility to the requesting entity for the authentication.

**CHAPTER-VI**  
***Bhamashah Authority***

**17. Establishment and Constitution of the Authority.**- (1) *The State Government shall, as soon as may be, after commencement of this Act, by notification, establish and constitute an Authority to be called as the Bhamashah Authority to exercise powers and discharge functions of the Authority under this Act or the rules or regulations made thereunder.*

(2) *The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract and shall, by the said name, sue or be sued.*

(3) *The headquarters of the Authority shall be at Jaipur.*

(4) *The Authority may, with the prior approval of the State Government, establish its offices at other places in the State.*

**18. Powers and functions of the Authority.**- The Authority shall exercise the following powers and discharge the following functions, namely:-

- (a) specifying, by regulations, the terms and conditions for appointment of Registrars and enrolling agencies and revocation of appointments thereof;
- (b) to expand existing electronic infrastructure for delivery of public welfare benefits and other services to the beneficiaries;
- (c) to create, monitor and maintain Bhamashah Resident Data Hub;
- (d) to frame policy for the use of the Bhamashah Resident Data Hub;
- (e) to recommend to the State Government for adding new services to the Bhamashah platform;
- (f) to take appropriate steps for financial inclusion of the residents of the State in collaboration with the line agencies;
- (g) to monitor the implementation of its recommendations;
- (h) to coordinate between different Government departments and government bodies;
- (i) to monitor public welfare benefits and services

- provided through Bhamashah Platform;
- (j) to frame and amend the regulations;
  - (k) to appoint committees or task forces or groups or sub-committees as may be necessary to assist the Authority in discharge of its functions and powers ;
  - (l) to invite experts as and when required to its meetings;
  - (m) to acquire by purchase, exchange, lease, hire or otherwise any property movable or immovable as may be necessary or convenient for carrying on the activities of the Authority;
  - (n) to accept, aid, donation, gift or any other assistance;
  - (o) to borrow money from Government, Banks, Financial Institutions with prior approval of the State Government;
  - (p) to exercise such other powers and discharge such other functions as may be necessary, incidental or conducive, for carrying out the purposes of this Act.

**19. Composition of the Bhamashah Authority.-** The Authority shall consist of the following, namely:-

- (i) A Chairperson who shall be a person of the rank of the Chief Secretary to the Government, or a person having experience and knowledge in the matters relating to technology, governance, law, development, economics, finance, management, public affairs or administration and shall be appointed by the State Government;
- (ii) Not less than three and not more than five official members, to be appointed by the State Government from amongst the Secretaries in-charge or Heads of Departments of the State Government, necessarily from the Finance Department and Administrative Department concerned;

**Explanation.-** For the purposes of this clause,-

- (a) the expression “Secretary in-charge” means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief

Secretary or a Principal Secretary when he is in-charge of a department; and

- (b) the expression “Head of the Department” shall have the same meaning as assigned to it in clause 11 of rule 7 of the Rajasthan Service Rules, 1951;
- (iii) Not exceeding two, non-official members from amongst the persons having experience and knowledge in the matters relating to technology, governance, law, development, economics, finance, management, public affairs or administration to be nominated by the State Government;
- (iv) The Director General of the Authority, who shall be Member- Secretary of the Authority.

**20. Term of office and other conditions of service of non-official Chairperson and the non-official members.-** (1)

The non-official Chairperson or a non-official member of the Authority shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or during the pleasure of the State Government, whichever is earlier.

(2) *The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the non-official Chairperson and a non-official member shall be such as may be prescribed.*

(3) The non-official Chairperson or a non-official member may resign his office by giving notice in writing to the State Government and on such resignation being accepted by the State Government, such non-official Chairperson or a non-official members, as the case may be, shall be deemed to have vacated his office.

**21. Meetings of the Authority.-** (1) The Authority shall meet at least once in a year at such place and such time as its Chairperson may decide and shall observe such rules of procedure, including quorum at such meetings, in regard to the transaction of the business at its meetings, as may be laid down by regulations.

(2) The Chairperson, or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Authority, any other member chosen by the members present at the meeting, shall preside over the meeting.

(3) All questions which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of

votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

**22. Constitution of the Executive Committee.-** (1) There shall be an Executive Committee of the Authority consisting of the following, namely: -

- |       |                                                                                        |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| (i)   | Director General of the Authority                                                      | Chairperson;      |
| (ii)  | an officer not below the rank of a Joint Secretary nominated by the Finance Department | Member;           |
| (iii) | Director of Information Technology and Communication Department                        | Member;           |
| (iv)  | Director and Joint Secretary, Economics and Statistics Department                      | Member-Secretary. |

(2) The Executive Committee shall exercise such powers and perform such duties as may be delegated to it by the Authority from time to time.

(3) The Executive Committee shall meet at least once in three months at such place and such time, as its Chairperson may decide and shall observe such rules of procedure, including quorum at such meetings, in regard to the transaction of the business at its meetings, as may be laid down by regulations.

(4) The Chairperson or, if for any reason he is unable to attend any meeting of the Executive Committee, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside over the meeting.

(5) All questions which come up before any meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting, and, in the event of an equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

**23. Authentication of orders of the Authority and Executive Committee.-** All orders, decisions and other instruments of the Authority and the Executive Committee shall be authenticated by the signatures of the Chairperson of the Authority or, as the case may be, the Executive Committee or any other member or any officer of the Authority or, as the case may be, the Executive Committee authorized by it in this behalf.

**24. Appointment of the Director General and his powers,**

**function and duties** .- There shall be appointed by the State Government an officer not below the rank of the Secretary to the Government to be the Director General of the Authority. He shall, subject to the general control of the Authority, exercise the following powers, perform the following functions and discharge the following duties, namely:-

- (a) to supervise and control all officers and servants of the Authority;
- (b) to work out modalities of delivery of the public welfare benefits and other services and ensure their effective monitoring and implementation ;
- (c) to manage the properties, records and funds of the Authority;
- (d) to maintain true and proper accounts of the Authority including checking and auditing in respect thereof periodically ;
- (e) to prepare annual income and expenditure accounts and balance sheet of the Authority;
- (f) to maintain up-to-date and complete statistical information, including progress made in the implementation of various programmes from time to time;
- (g) to process project proposals for financial assistance and issue utilization certificates thereof;
- (h) to convene meetings, seminars and workshops connected with the main objectives of the Authority and preparation of reports and follow-up action thereon;
- (i) to produce video, documentary films, publicity material, literature and publications to inform general public about the various aspects of the Authority; and
- (j) to perform such other functions as may be delegated to him by the the Authority.

**25. Appointment of officers and employees.**- (1) The Authority may, with the prior approval of the State Government, create such number and category of posts of officers and other employees in the Authority as it may consider necessary to carry out its functions under this Act and may make appointment thereto.

(2) The salary and allowances and other terms and conditions of service of the officers and employees of the Authority

*shall be such as may be determined by the Authority by regulations with the prior approval of the State Government and shall be paid out from the Fund.*

## **CHAPTER-VII**

### ***Grants, Accounts, Audit and Annual Report***

**26. Grants by the State Government to the Authority.-** *The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Authority by way of grants such sum of money as the State Government may think fit for being utilise for the purposes of this Act.*

**27. Fund of the Authority.-** (1) There shall be established a fund known as the Bhamashah Authority Fund for the purposes of this Act.

(2) In addition to the sum of money paid by the State Government under section 26, the following shall be credited to the Fund, namely:-

- (a) aids, donations, gifts and loans raised by the Authority;
- (b) any sum of money received by the Authority by way of fees;
- (c) any other sum of money received by the Authority.

(3) The Fund shall be utilised by the Authority to meet out the expenses incurred in the carrying out the purposes of this Act including the payment of allowances to the non-official Chairperson and the non-official members of the Authority, payment of salaries and allowances to the officers and staff of the Authority.

**28. Budget of the Authority.-** (1)The Authority shall prepare in each financial year, in such form and at such time as may be prescribed, its budget for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same for the approval of the State Government.

(2) The Authority shall not incur any expenditure otherwise than in accordance with the budget provisions as approved by the State Government.

**29. Annual report.-** The Authority shall prepare, in such form and at such time as may be prescribed, its annual report, giving a full account of its activities during the previous financial year and its plans for the forthcoming year, and submit a copy thereof to the State Government. Every annual report shall also



contain a review of the performance of the Authority in respect of the plans contained in the preceding annual report.

**30. Accounts and audit.**- (1) The accounts of the Authority shall be maintained in such form and manner as may be prescribed and shall be audited by the Director of Local Fund Audit Department or by such other person or body as the State Government may determine from time to time.

(2) The Authority shall furnish to the State Government before such date as may be prescribed a copy of its audited accounts together with the auditor's report thereon.

**31. Annual report and auditor's report to be laid before the State Legislature.**-The State Government shall cause the annual report of the Authority and the auditor's report to be laid, as soon as may be, after they are received, before the House of the State Legislature.

## **CHAPTER-VIII**

### *Offences and Penalties*

**32. Penalty for non-compliance of provisions relating to security and confidentiality of information.**- Whoever shares or publishes the demographic information and record of entitlement of a Bhamashah card holder in contravention of the section 7 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and shall be liable to compensate the person who is adversely affected by such failure.

**33. Penalty for unauthorised use by requesting entity.**- Whoever, being a requesting entity, uses the identity information of an individual in contravention of section 8 shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and shall be liable to compensate the person who is adversely affected by such contravention.

**34. Offences by companies.**- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his

knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

**Explanation.**— For the purposes of this section-

- (a) “company” means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “director” in relation to a firm, means a partner in the firm.

## **CHAPTER-IX**

### *Miscellaneous*

**35. Members, officers, etc., to be public servants.-** The Chairperson and members of the Authority and the Executive Committee and officers and other employees of the Authority shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

**36. Power of State Government to issue directions.-** (1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Authority shall, in exercise of its powers or the performance of its functions under this Act, be bound by such directions on questions of policy, as the State Government may give, in writing to it, from time to time.

(2) The decision of the State Government, whether a question is one of policy or not, shall be final.

**37. Delegation of powers and functions.-** The Authority may, by general or special order in writing, delegate to the Executive Committee, any member or officer of the Authority or any other person, subject to such conditions, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act, except the power under section 40, as it may deem necessary.

**38. Protection of action taken in good faith.-** No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or the Authority or the Executive Committee or the

Chairperson or any member of the Authority or the Executive Committee or any officer or other employee of the Authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rule or regulation made thereunder.

**39. Power of State Government to make rules.-** The State Government may, by notification, make rules to carry out the provisions of this Act.

**40. Power of Authority to make regulations.-** The Authority may, by notification, make regulations consistent with this Act and the rules made thereunder to provide for the matters which one required by this Act to be provided by regulation.

**41. Rules and regulations to be laid before the House of the State Legislature.-** Every rule and regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if before the expiry of the session in which it is so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in the rule or regulation or resolves that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**42. Application of other laws not barred.-** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

**43. Act not to prevent use of Bhamashah number for other purposes under law.-** Nothing contained in this Act shall prevent the use of Bhamashah number for establishing the identity of an individual for any purpose, whether by any body corporate or person, pursuant to any law, for the time being in force, or any contract to this effect:

Provided that the use of Bhamashah number under this section shall be subject to the procedure and obligations under this Act.

**44. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in the Official Gazette,

make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the State Legislature.

**45. Saving.-** Anything done or any action taken by the State Government under circular No.F.17(1)/1/Bhamashah/DES/29279, dated-18.07.2014 and subsequent circulars governing or regulating the Bhamashah Scheme shall be deemed to have been validly done or taken under this Act.

---

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With the objective of financial inclusion, transparent and efficient benefit transfer and to empower the women of the State, Bhamashah Scheme was launched in the State in the Year of 2008.

Bhamashah Scheme, as an end-to-end service delivery platform to transfer cash and non-cash benefits to the targeted beneficiaries in a transparent manner, was re-launched in the Year of 2014 with broader objectives of financial inclusion, woman empowerment, direct transfer of public welfare benefits and efficient delivery of services to the beneficiaries.

With a view to provide statutory institutional framework to the Bhamashah Scheme, the Rajasthan Bhamashah (Direct Transfer of Public Welfare Benefits and Delivery of Services) Bill, 2017 is proposed to be introduced. The Bill, *interalia*, seeks to provide for-

(a) issue of Bhamashah Card with unique Bhamashah number as family identity;

(b) creation of unique Bhamashah Resident Data Hub comprising of Bhamashah ID, Aadhaar number and Basic Demographic and socio-economic data, entitlements and eligibility status of individuals and families under various beneficiary schemes;

(c) measures pertaining to security, privacy and confidentiality of information in possession or control of the

Authority including information stored in the Bhamashah Resident Data Hub;

(d) direct transfer of cash and non-cash public welfare benefits of the beneficiary and in case the benefits pertain to the family, direct transfer of such benefits to the account of woman head the family;

(e) social audit of the official records pertaining to delivery of public welfare benefits;

(f) requiring Aadhaar numbers/Bhamashah numbers for identification and authentication of beneficiary for delivery of public welfare benefits and services;

(g) establishment of the Bhamashah Authority and provision of Registrars;

(h) offences and penalties for contravention of relevant statutory provisions.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,  
**Minister Incharge.**

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश ।

(प्रतिलिपि: संख्या प. 2(21) विधि/2/2017 जयपुर, दिनांक 08 मार्च, 2017)  
प्रेषक : वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री, प्रेषित : सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017 को राजस्थान विधान सभा में विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूँ ।

### **FINANCIAL MEMORANDUM**

Clause 3 of the Bill provides for enrolments of Residents/families.

Clause 5 of the Bill provides for issuance of Bhamashah Cards.

Clause 6 of the Bill provides for creation and maintenance of a unified Bhamashah Resident Data Hub.

Clause 17 of the Bill provides for constitution and establishment of Bhamashah Authority.

Clause 20(2) of the Bill provides for salaries and allowances to be paid to the Chairperson and non-official members of the Authority.

Clause 24 of the Bill provides for appointment of a Director General of the Authority.

Clause 25 of the Bill provides for appointment of officers and other employees in the Authority.

Clause 26 of the Bill provides for payment of grants to the Authority by the State Government.

Thus creation and maintenance of the Bhamashah Resident Data Hub, setting up of the Bhamashah Authority and other logistical functions shall involve an estimated expenditure of Rs. 1 crore as non-recurring and Rs. 3 crores annually as recurring.

वसुन्धरा राजे,  
**Minister Incharge.**

### **MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION**

Following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules and the Bhamashah Authority, to make regulations, with respect to matters noted against each such clause:-

<b>Clauses</b>	<b>With respect to State Government (Rules)</b>
2(b)	process of authentication;
3(2)	the manner of verifying the demographic information for issuance of Bhamashah number;
4(3)	other conditions for accepting a Bhamashah number as proof of identity and proof of address of the family members;
5	the form and manner of issuance of Bhamashah card and fee, if any;
6(1)	the manner of creating and maintaining Bhamashah Resident Data Hub;

- 6(2) other functions of the agency engaged to establish and maintain the Bhamashah Resident Data Hub;
- 9(1) manner of requesting the Authority to alter any demographic information in Bhamashah Resident Data Hub;
- 9(2) manner of intimating the alterations to the Head of the Family or the member concerned;
- 11 manner of transferring the public welfare benefits to the account of the beneficiary;
- 12(2) manner of seeding the departmental database;
- 13 manner of recording the transaction of money or service under public welfare benefits;
- 14 intervals at which and manner in which social audit of public welfare benefits shall be recorded;
- 20(2) salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the non-official Chairperson and a non-official members;
- 28(1) the form in which and time at which the Authority shall prepare its budget;
- 29 the form in which and time at which the Authority shall prepare its annual report; and
- 30(1) the form and manner of maintaining of accounts of the Authority.

**Authority (Regulations)**

- 18(1)(a) specifying the terms and conditions for appointment of Registrars and enrolling agencies and revocation of appointments thereof;



- 21(1) the procedure for transaction of business to be followed by the Authority, including the quorum;
- 22(3) the procedure for transaction of business to be followed by the Executive Committee, including the quorum; and
- 25(2) determining salaries and allowances, and other terms and conditions of service of officers and employees of the Authority.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

वसुन्धरा राजे,

**Minister Incharge.**

**2017 का विधेयक सं.26**

**राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण  
और सेवाओं का परिदान) विधेयक, 2017**

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)  
राजस्थान विधान सभा

---

भामाशाह मंच के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, हिताधिकारियों को दक्ष और पारदर्शी रीति से लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के सीधे अंतरण और सेवाओं के परिदान का, और उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का, उपबंध करने के लिए विधेयक।

---

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

---

पृथ्वी राज,  
सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

**Bill No. 26 of 2017**

**THE RAJASTHAN BHAMASHAH (DIRECT TRANSFER  
OF PUBLIC WELFARE BENEFITS AND DELIVERY OF  
SERVICES) BILL, 2017**

**(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

---

A

*Bill*

*to provide for women empowerment, financial inclusion, direct transfer of public welfare benefits and delivery of services to the beneficiaries through Bhamashah platform in efficient and transparent manner, and for matters connected therewith or incidental thereto.*

---

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

---

Prithvi Raj,  
**Secretary.**

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)